139

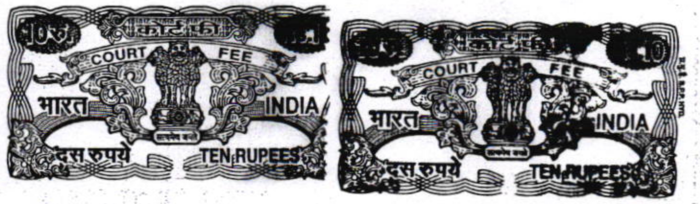

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण कमांक   / 2016–17 निगरानी   R 305-PB/217

नंदराम पिता श्री भोलीराम, जाति धाकड़,
निवासी–कस्बा खाचरौद जिला उज्जैन

............आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती गीता बाई पिता सुन्दरलाल पति गणेशीलाल जाति–ब्राम्हण,

2– श्रीमती कमलाबाई पिता सुन्दरलाल,
निवासीगण–कानवन जिला धार म.प्र.

......अनावेदकगण

20.1.17

पुनर्निरिक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार खाचरौद जिला उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 9 / अ–6 / 15–16 में पारित आदेश दिनांक 20 / 12 / 16 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर निम्न कारणो के आधार पर पुनरिक्षण आवेदन अंदर अवधि प्रस्तुत करता है।

1. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि एवं विधान के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने बिना किसी उचित एवम् वैध कारण के अनावेदक को आदेश 26 नियम 4 सी.पी.सी. के अन्तर्गत साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दे दिया है जबकि अधीनस्थ योग्य न्यायालय पूर्व में ही दिनांक 16 / 12 / 2016 को प्रकरण में अनावेदक का साक्ष्य का अवसर समाप्त कर चुका हैं । तहसील न्यायालय को अपने पूर्व के आदेश के विपरीत जाकर आदेश पारित करने का कोई अधिकार नही हैं अगर न्यायालय अपने पूर्व के आदेश को गलत मानता हैं तो विधिवत् धारा 51 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत रिव्यू में लेकर कार्यवाही की जा सकती है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है वह आदेश उनके क्षेत्राधिकार के बाहर का होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

3. यह कि, अनावेदकगण ने जो नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत किया हैं वह सुन्दरलाल की मृत्यु के लगभग 35 साल बाद प्रस्तुत किया हैं । नामान्तरण के लिये पूर्व में सुन्दरलाल के स्थान पर जमनालाल ने आवेदन पत्र प्रस़्तुत किया था जो वर्ष 1996 में न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है । वादग्रस्त भूमि आवेदक के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि है तथा शासकीय अभिलेख में आवेदक का नाम दर्ज हो चुका है पटवारी रिपोर्ट द्वारा भी वादग्रस्त भूमि पर

निरंतर.........2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-305-पीबीआर/17 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर ,से अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	